

न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या :-304/16

दायर दिनांक :- 13-05-2016

निर्णय दिनांक :- 14.09.2016

अनवान

राजस्थान सरकार जरिए पटवारी हल्का दूध बनाम

कालू राम पुत्र चेतनराम कौम विश्नोई साकिन लूखु

निर्णय

दिनांक :-14.09.2016

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लूखु ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि ग्राम स्वामियों की बेरी के आराजी खसरा नम्बर 81 रकबा 200 प्रति वर्ग फीट बीघा भूमि किस्म बा0दो0 लगान 25 प्रति वर्ग फीट रूपये भूमि पर द्वारा संवत 2073 में दुकान कर कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत बेदखली की कार्यवाही करने का निवेदन किया है।

इस पर पत्रावली दर्ल रजिस्टर की जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस के जरिए तलब किया गया। गैरसायल अनुपस्थित। गैरसायल की ओर से कोई जबाब ,साक्ष्य एव संबूत पेश नहीं हुआ है।

मेरे द्वारा उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि गैरसायल द्वारा विवादित भूमि अतिक्रमण कर रखा है। जिससे गैरसायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 अ सपठित 91 आर.एल.आर. के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं तत्काल प्रभाव से विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा वार्षिक लगान 25 वर्ग फीट रूपये का 50 गुणा 1250 रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। जो गैरसायल से वसूल किया जावे। तथा मौके पर स्थित अन्य कोई सामग्री को जब्त सरकार निलामी के आदेश दिये जाते हैं। टी0आर0ए0 तथा पटवारी हल्का को मांगकायमी एवं बेदखली हेतु लिखा जाव ! पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2016 को मुकाम धोरीमन्ना पर सुनाया गया।

तहसीलदार धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर